23 दिसम्बर, 1977 को लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 533 के अनुपूरक प्रश्नों के सम्बन्ध में जो उत्तर दिया गया था, उसमें अन्य बातों के साथ साथ वस्तुत: यह बताया गया था कि राज्य व्यापार निगम, भारतीय इंजीनियरी उद्योग एसोसियेशन और मूल रसायन भेषज एवं प्रसाधन सामग्री निर्यात संवर्धन परिषद् ने 42वें केन्टन मेले में भाग लिया । इन संगठनों ने 41वें केंटन मेले में भाग लिया था । सरकारी क्षेत्र के जिन भारतीय संगठनों ने 42वें केंटन मेले में भाग लिया था वे हैं राज्य व्यापार निगम, खनिज तथा धातु व्यापार निगम, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (अन्तर्राष्ट्रीय) और सेल अन्तर्राष्ट्रीय ।

उसी संदर्भ में यह भी बताया गया था कि निम्नलिखित चीनी निगमों को भारत आने के लिये आमंत्रित किया गया था:

(1) चीन राष्ट्रीय हल्के औद्योगिक उत्पाद व निर्यात निगम

(2) चीन राष्ट्रीय धातु व खनिज आयात व निर्यात निगम

(3 चीन राष्ट्रीय मशीनरी आयात व निर्यात निगम

(4) चीन राष्ट्रीय रसायन आयात व निर्यात निगम

(5) चीन राष्ट्रीय तकनीकी आयात निगम, और

(6) चीन राष्ट्रीय अनाज, तेल व खाद्य पदार्थ निर्यात संवर्धन निगम ।

वस्तुत: इन निगमों में से केवल पहले पांच निगमों को ही आमंत्रित किया गया है ।

12.58 hrs.

ELECTION TO COMMITTEE

RUBBER BOARD

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI KRISHNA KUMAR GOYAL): Sir, on behalf of Shri Arif Baig, I beg to move the following:

"That in pursuance of sub-section (3) (e) of Section 4 of the Rubber Act, 1947, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from among themselves to serve as members of the Rubber Board, subject to the other provisions of the said Act."

MR. SPEAKER: The question is:

"That is pursuance of sub-section (3) (e) of Section 4 of the Rubber Act, 1947, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from among themselves to serve as members of the Rubber Board, subject to the other provisions of the said Act.

The motion was adopted.

12.59 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) REPORTED DISMISSAL OF WORKERS IN BANMAUR CEMENT FACTORY IN MORENA DISTRICT

श्री छविराम अर्गल (मुरैना): अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

मध्य प्रदेश के जिला मुरैना में स्थित बानमौर ए०सी०सी० सीमेंट फैक्ट्री में काम कर रहे 100 मजदूरों को इंटक यूनियन के इशारे पर प्रबन्धकों ने बिना कारण बताये सेवा से पृथक कर दिया गया है । इस कारण 100 परिवारों की भूखों मरने की स्थिति पैदा हो गई है । इन निकाले गये मजदूरों के स्थान पर अन्य मजदूरों को सेवा में ले लिया गया है ।

[श्री छविराम अर्गल]

वानगौर फैक्ट्री के भारतीय मजदूर संघ के यूनियन के पदाधिकारी व सेवा से प्रथक किये मजदूरों ने सरकार व प्रबन्धकों को ज्ञापन दिया था । उनकी मांगों पर विचार न करने पर सेवा से पृथक किये गये मजदूर 75 दिन से भूख हड़ताल पर हैं वे शान्तिपूर्ण ढंग से सत्याग्रह कर रहे हैं । मजदूरों की मांग न्यायोचित है । फैक्ट्री के प्रबन्धक हठधर्मी पर हैं और मजदूरों की मांगों पर विचार नहीं किया जा रहा है । उल्टे भूख हड़ताल करने वाले मजदूरों को गिरफ्तार कर लिया है ।

अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वानमौर ए०सी०सब० फैक्ट्री के मजदूरों की मांग स्वीकार न करने से सारे मजदूर जगत में असंतोष व्याप्त है । अत: उनकी न्यायोचित मांगों को स्वीकार किया जाय । अगर मांगें नहीं मानी गई तो कभी भी मजदूर जगत में विस्फोट स्थिति पैदा हो सकती है ।

13.00 hrs.

PROF. P. G. MAVALANKAR (Gandhinagar): Sir, have not changed the rule? I thought you had said in the past that matters under rule 377 are not generally raised on Fridays, because the Minister of Parliamentary Affairs gives a statement every Friday about Govt. business the following week, when some of us can invite the attention of the Government to urgent public matters. so, the practice I think is....

MR. SPEAKER: We have allowed it earlier also. Every day, between 3 and 4.

PROF. P. G. MAVALANKAR: Including Fridays?

MR. SPEAKER: Yes, yes.

PROF P. G. MAVALANKAR: I wanted to know: Let me get it clarified.

MR. SPEAKER: Yes. There is no difficulty. We want to give more opportunity.

PROF. P. G. MAVALANKAR: We are happy if we get one more day.

MR. SPEAKER: We want to give more and more opportunity to Private Members.

PROF. P. G. MAVALANKAR: We are grateful to you, Sir.

MR. SPEAKER: The House now stands adjourned till 2. p.m.

13.01 hrs.

The Lok Sabha adjourned, for Lunch till Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha reassembled after Lunch at Five Minutes past Fourteen of the Clock.

[MR. SPEAKER *in the Chair*].

MATTERSo UNDER RULE 377—*contd.*

(ii) REPORTED HUGE ADVANCES BY THE CENTRAL BANK OF INDIA TO KOHINOOR MILLS LIMITED.

DR. VASANT KUMAR PANDIT (Rajgarh): Under rule 377 I wish to bring to the notice of this House a glaring example of fraud committed by one single family, of Kapadias, on public funds, through the medium of the Central Bank.

The Kohinoor Mills was sanctioned Rs. 4.75 crores only by the Reserve Bank, but demands increased on the previous caucus of the Government, and they wanted more advances. Therefore, the Chairman of the Central Bank was changed overnight, and Shri P. F. Gutta was brought over to the Central Bank.

The whole story from 1975 to 1977 divulges that an amount of Rs. 24.18 crores was given to this one single mill against their assets of Rs. 5.70 crores. This is against the authorisation of the Reserve Bank Several